न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :– नेहा छीपा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 43/2008 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमती अनोपी बेवा हजारी जाति नायक निवारी रायला हाल डाबला तहसील बनेड़ा।
2. मु0 प्रेम पुत्री हजारी जाति नायक पत्नी दुर्गा लाल नायक निवारी रायला हाल लसाडिया तहसील शाहपुरा।

— वादीगण

बनाम

1. उगमा आत्मज दौला जाति बलाई निवारी वियजपुर (पारलियाखेड़ा) तहसील बनेड़ा
2. धन्ना आत्मज किशनाजी जाति नायक निवासी कंवलियारा तहसील हुरड़ा।
3. शान्ति पुत्री किशना जाति नायक पत्नी हेमराज नायक निवारी रिकरानी रोड़ विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. सत्य नारायण आत्मज नाथु जाति नायक निवारी रायला तहसील बनेडा।
5. भगवती लाल आत्मज नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
6. रमेश चन्द्र आत्मज नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
7. श्रीमती संतोष आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
8. श्रीमती कान्ता आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
9. श्रीमती लीला आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री अरूण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)
श्री नानू लाल तेली (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 3)

निर्णय

दिनांक 04/10/2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, व 188 के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2008 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र अनुसार ग्राम रायला प.ह. रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 3918 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नं. 3919 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सत्यनारायण, भगवतीलाल, रमेशचन्द्र, कान्ता, संतोष, लीला आत्मज नाथु, मु. धापू बेवा नाथु 1/2, उगमा पिता दौला बलाई 1/2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादिया के परिवार में मुख्य पुरूष सुरजमल जी नायक थे, जिनके तीन लड़के मोहन, धीसा व किशना हुये जिनमें से मोहन लाऔलाद फौत हो गया तथा सुरजमल की सम्पूर्ण कृषि आराजियात में धीसा व किशन समान रूप से हक व हिस्सा निहित हो गया तथा धीसा के एक लड़का नाथु हुआ व नाथु के तीन लड़के सत्यनारायण, भगवती, रमेश व तीन लड़कियां सन्तोष, कांता, लीला हुयें। उनकी पत्नी की फौत हो चुकी है। किशना के एक लड़का भूरा हुआ। भूरा के एक लड़का हजारी और हजारी के वारिसान उनकी एक मात्र जायन्दा पुत्री प्रेम जो वादिया सं. 2 है तथा उनकी पत्नी श्रीमती अनोपी जो कि वादिया सं. 1 है। इनके अलावा कोई अन्य वारिस नही है। श्रीमती केशर भूरा की जायन्दा पुत्री नही होकर गैलड़ होकर पस्सन्तान है जो कि भूरा

की पत्नी के साथ आयी थी और केशर का उक्त विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा नही रहता है। फिर भी राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों ने मिली भगत कर वादिया सं. 1 को फोत बताकर श्रीमती केशर ने नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जबकि अनोपी की मृत्यु होने पर भी उक्त विवादित कृषि आराजियात का नामान्तकरण वादिया सं. 2 जो कि हजारी की जायन्दा औलाद हैं के नाम पर खुलता। इस प्रकार तथ्यों को छिपाते हुए मिलीभगत से विवादित आराजियात का नामान्तकरण सं. 793 केवल मात्र कागजी तौर पर खोला गया। श्रीमती केशर के पश्चात उक्त आराजियात का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम खोल दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध होकर निषप्रभावी है। तो उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 2 व 3 का खातेदार होना बिलकुल ही निराधार है। तथा उनके द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र भी शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाता है। विक्रय पत्र निष्प्रभावी होने पर प्रतिवादी सं. 1 उक्त विवादित आराजियात में खातेदार ही नहीं रहता है। फिर भी प्रतिवादी सं. 1 न्यायालय को गुमालरो में रखते हुए तथा रागी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी विवादित भूमि के बाबत् विभाजन का एक वाद न्यायालय श्रीमान के यहां प्रस्तुत कर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली गई। जिसका की प्रतिवादी सं. 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादिया की और से उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील भी माननीय न्यायालय श्रीमान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत कर दी गई। उक्त विवादित कृषि आराजियात पर वादिया सं. 1 सम्वत् 2033 से ही काबिज होकर काश्त कर उपयोग व उपभोग करती आ रही है। वादियागण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीयागण के पक्ष में एवं प्रतिवादियागण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र में वर्णित कृषि आराजियात आराजी नं. 3918 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी नं. 3919 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 आधा हक हिस्सा की वादीयागण को खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर उक्त 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादियागण का नाम अंकित करवाया जावें। वादीयागण के पक्ष में एवं प्रतिवादीयागण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र की चरण सं. 01 में वर्णित कृषि आराजियात आराजी 3918 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी नं. 3919 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 आधा हक हिस्सा के वादियागण के उपयोग उपयोग में प्रतिवादीयागण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नहीं करें तथा वादीयागण को जबरन शक्ति के बल पर मौके से बेदखल न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें।

वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 5, 6 दिनांक 18.03.2008 को उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 13.06.2008 को जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 11.07.2008 से प्रतिवादी सं. 7 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनाक 08.08.2008 से प्रतिवादी सं. 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की और से अधिवक्ता सी.पी. जोशी उपस्थित हुये तथा जवाब नहीं देने से जवाब बन्द किया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 15.05.2009 से एक प्रार्थना पत्र 06 R 17 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है। दिनांक 16.07.2010 से वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली में दिनांक 27.07.2012 से तनकी कायम की जाकर शामिल मिसल की गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 27.12.2016 को साक्ष्यवादी हेतु अनोपी नायक, कालु माली, शंकर गुर्जर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त शपथ पत्र के क्रम में दिनांक 16.01.2018 को बयान कलमबद्ध किये गये जो PW-1 , PW-2, PW-3 है तथा वकील प्रतिवादी अनुपस्थित होने से वादी के गवाहन से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त आराजियात को बेचान कर लिये

जाने से स्वंय प्रतिवादी सं. 1 का नाम डिलिट करने हेतु निवेदन किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी अवसर बन्द किया गया। पत्रावली में वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादियागण के पक्ष में डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेज एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध बयान, शपथ पत्र एवं वादपत्र में अंकित तथ्यों पर गनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, कानूनी प्रावधानों व दृष्टांतो के मध्यनजर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं. 513 से हजारी के फौत उपरान्त नामान्तकरण अनोपी के नाम खोला गया जबकि अनोपी के साथ पुत्री प्रेम के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। इसके उपरान्त अनोपी जीवित होते हुए भी नामान्तकरण सं. 793 दिनांक 27.01.1983 से अनोपी को फौत बताते हुए अनोपी की भूमि केशर पुत्री भूरा के नाम दर्ज की गई जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हक हिस्सा वादियागण अनोपी व प्रेम के नाम दर्ज किया जाना/खातेदार काश्त घोषित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने से ग्राम रायला प.ह. रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 3918 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नं. 3919 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा भूमि के 1/2 हक हिस्से का वादियागण अनोपी, प्रेम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादग्रस्त अराजियात के 1/2 हक हिस्से में वादीयागण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया व डिक्री बहक वादीगण पृथक से जारी की जाती है।

(मेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिक्री ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :— नेहा छीपा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 43/2008 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमती अनोपी बेवा हजारी जाति नायक निवासी रायला हाल डाबला तहसील बनेड़ा।
2. मु0 प्रेम पुत्री हजारी जाति नायक पत्नी दुर्गा लाल नायक निवासी रायला हाल लसाडिया तहसील शाहपुरा।

— वादीगण

बनाम

1. उगमा आत्मज दौला जाति बलाई निवासी वियजपुर (पारलियाखेड़ा) तहसील बनेड़ा
2. धन्ना आत्मज किशनाजी जाति नायक निवासी कंवलियास तहसील हुरड़ा।
3. शान्ति पुत्री किशना जाति नायक पत्नी हेमराज नायक निवासी रिकरानी रोड़ विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. सत्य नारायण आत्मज नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
5. भगवती लाल आत्मज नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
6. रमेश चन्द्र आत्मज नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
7. श्रीमती संतोष आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
8. श्रीमती कान्ता आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
9. श्रीमती लीला आत्मजा नाथु जाति नायक निवासी रायला तहसील बनेडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री अरूण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीगण)
श्री नानू लाल तेली (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 3)

दिनांक 04.10.2023

वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रायला प.ह. रायला तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नं. 3918 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नं. 3919 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा भूमि के 1/2 हक हिस्से का वादियागण अनोपी, प्रेम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादग्रस्त अराजियात के 1/2 हक हिस्से में वादीयागण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें। मुताबिक निर्णय अन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है।

यह डिक्री आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा